प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, श्रीगंगानगर ....थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– 2022
   प्र0सू0रि0 सं 386/22 .... दिनांक 27/9/22 ....
2. (1) अधिनियम...**पीसी एक्ट 1988**......... धाराए ...... **13(1) (सी) (डी), 13(2)**...................
   (2) अधिनियम.............**भादंसं**...................... धाराएं ......**409, 420, 193 एवं 120 बी** ....
   (3) अधिनियम.. ....धाराएं...
   (4) अन्य अधिनियम एवं...............................धाराएं...
3. (क) घटना का दिन :– ....दिनांक :– वर्ष 2008–2014................. ....समय : ....
   (ख) थाने पर प्राप्त सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– ....समय : ....
   (ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ....522....... समय......7:00 pm..................................
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई :– (लिखित / मौखिक) लिखित। परि.सं. 142 / 19 दिनांक 28.05.2019
5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
   (क) थाने से दिशा एवं दूरी – चौकी से दक्षिण दिशा बफासला करीब 170 किलोमीटर ।
   बीट संख्या..जुरामदेही सं...
   (ख) पता :– ग्राम पंचायत 10 केडी, 7 एमएलडी–बी, 2 केएम एवं 9 एलएम–बी, पंचायत समिति घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
   (ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम.............................जिला ....
6. शिकायतकर्त्ता / इतिला देने वाला :–
   (क) नाम :– श्री सौरभ स्वामी, आई.ए.एस., तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् श्रीगंगानगर।
   (ख) पिता / पति का नाम :––
   (ग) जन्म तिथि / उम्र :– –
   (घ) राष्ट्रीयता – भारतीयता
   (ड़) पासपोर्ट संख्या........................जारी करने की तिथि...............................जारी करने का स्थान.........................
   (च) व्यवसाय – आई.ए.एस.
   (छ) पता :– तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् श्रीगंगानगर
7. ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

1. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री रूधाराम उम्र 52 वर्ष निवासी वार्ड नं. 17 रावला मण्डी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिति घड़साना हाल ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिति अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. श्री दुल्ले खां उम्र 63 वर्ष निवासी 7 एमएलडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत 7 एमएलडी पंचायत समिति घड़साना।
3. श्रीमती पदमा देवी पत्नि श्री अमरचन्द उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम पंचायत 9 एलएम–बी तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत 9 एलएम–बी पंचायत समिति घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
4. श्रीमती मनजीत कौर पत्नि श्री बलविन्द्र सिंह निवासी 10 डीडी तह. घड़साना तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत 2 केएम पंचायत समिति घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
5. श्रीमती जसविन्द्र कौर पत्नि श्री सुरजीत सिंह उम्र 67 वर्ष निवासी गांव 10 केडी तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत 10 केडी पंचायत समिति घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
6. अन्य।

8. शिकायत / इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई / लिखित सम्पति की विशिष्ठया(यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)......................

आरोपीगणों द्वारा घटना अवधि के दौरान आपराधिक सहभागिता के तहत अपने–अपने पदों का दुरूपयोग करते हुऐ पंचायत समिति घड़साना अधीन ग्राम पंचायत 10 केडी, 9 एलएम–बी, 7 एमएलडी, 2 केएम में करवाये गये निर्माण कार्यों पेटे क्रमशः 13,47,006 रूपये, 15,17,751 रूपये, 14,36,248 रूपये, 2,37,877 रूपये का बिना निर्माण कार्य या अपूर्ण निर्माण करवाकर भुगतान उठाकर राजकोष को हानि पहुँचाने के आरोप है।

10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्य :– ....

11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो)..

12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय वस्तु :–

महोदय,

निवेदन है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक 2019–20169 दिनांक 15.04.2019 से एक लिखित परिवाद मय पंचायत समिति घड़साना अधीन ग्राम पंचायत 10 केडी, 9 एलएम–बी, 7 एमएलडी, 2 केएम से संबंधित जांच प्रतिवेदन की प्रति प्रेषित किया गया। परिवाद में वर्णित किया कि श्री सुरेश कुमार सरगरा व अन्य के विरूद्ध पंचायत समिति घड़साना तत्कालीन विकास अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2050–62 दिनांक 16.07.2015 के द्वारा 9 ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम पंचायत वार जांच दल गठित कर जांच करवाई गई। जांच दल द्वारा जांच के दौरान रिकार्ड/केश बुक/दस्तावेजों/मस्टरोलों/बिल बाउचर एवं निर्माण कार्यों के मार्फत बड़े स्तर में फर्जीवाड़ा के अन्तर्गत अपने पत्रांक 5560–61 दिनांक 09.02.2016 के द्वारा 4 ग्राम पंचायतों के 88 कार्यों (मनरेगा व सामान्य योजना) की जांच उपरान्त 62 निर्माण कार्यों में अन्तरिम जांच प्रतिवेदन के जरिऐ लगभग 44.52 लाख रूपये की वसूली/गबन की जारी की गई। जिला परिषद श्रीगंगानगर के स्तर से सम्पूर्ण प्रकरण के संबंध में संशोधित तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करवाई गई जिसके तहत वर्तमान में वसूली/गबन की लगभग 45.71 लाख राशि के लिए श्री सुरेश सरगरा एवं संबंधित सरपंचों को दोषी माना गया। इस वसूली राशि में गबन पेटे लगभग 32.67 लाख रूपये है जो भ्रष्टाचार की श्रैणी में आता है। पंचायत समिति घड़साना स्तर से तत्कालीन विकास अधिकारी द्वारा प्रकरण में उच्चाधिकारियों को अवगत नहीं करवाये जाने के कारण वर्तमान में इस प्रकरण में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की गई है जिसके तहत श्री सरगरा व अन्य के विरूद्ध वसूली एवं एफआईआर दर्ज करवाने की कार्यवाही विकास अधिकारी पंचायत समिति घड़साना को लिखा गया है एवं 16 सीसीए के तहत कार्यवाही शुरू की गई है। उक्त के मध्यनजर जबकि उक्त प्रकरण में अन्तरिम जांच रिपोर्ट के चलते गबन के रूप में उजागर हुआ है। दोषी व्यक्तियों श्री सुरेश सरगरा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, तत्कालीन सरपंच जसविन्द्र कौर ग्राम पंचायत 10 केडी, श्रीमति पदमा देवी ग्राम पंचायत 9 एलएम–बी, श्री दुल्ले खां ग्राम पंचायत 7 एमएल–डी एवं श्रीमति मंजीत कौर ग्राम पंचायत 2 केएम अन्य संबंधित पंचायत समिति घड़साना के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की अनुशंषा की गयी। इस शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय जयपुर से पत्र क्रमांक 5665–66 दिनांक 30.05.2019 से परिवाद संख्या 142/2019 दिनांक 28.05.2019 दर्ज होने पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवाद में सत्यापन किया गया।

तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद श्रीगंगानगर श्री सौरभ स्वामी (आई.ए. एस.) द्वारा श्री सुरेश सरगरा ग्राम विकास अधिकारी एवं संबंधित अन्य के विरूद्ध ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के संबंधित अधिकारियों को जिला परिषद के कार्यालय पत्रांक 3226–31 दिनांक 07.02.2020 एवं 3656–60 दिनांक 07.02.2020 के जरिऐ जिला परिषद स्तर से अंतिम रूप से जांच/संशोधित जांच रिपोर्ट के द्वारा पांच प्रकरणों से संबंधित 105 कार्यों पेटे वसूली/गबन की राशि के संबंध में रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। इस प्रेषित रिपोर्ट के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 1 के 64 कार्य जो कि परिवाद संख्या 142/19 से संबंधित है। जिला परिषद के पत्रांक 3226–31 दिनांक 07.02.2020 के जरिऐ भिजवाई गई रिपोर्ट में पेज संख्या 01 से 31 में परिवाद 142/19 से संबंधित 64 कार्य शामिल हैं। पूर्व में प्रेषित परिवाद में अंकित कार्यों की वसूली/गबन राशि मय उक्त पत्रांक

के जरिऐ भिजवाई गई रिपोर्ट के अनुसार कार्यों से संबंधित वसूली/गबन आदि की राशि में परिवर्तन होना पाया। जॉच कमेटी सदस्यों श्री विजयपाल सिंह कनिष्ठ तकनिकी सहायक, दलीप जाखड़ सहायक सांख्यिकी अधिकारी, विमल कुमार उपकोषाधिकारी, हरीकिशन सहायक अभियन्ता से जांच कर बयान लिये गये।

जांच से पाया कि तत्कालीन विकास अधिकारी घडसाना के पत्र कमांक 2050-62 दिनांक 16.07.2015 के द्वारा सुरेश सरगरा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्ध पंचायत समिति स्तर के कार्मिको/अधिकारीयों की कमेटी गठित कर जांच करवायी गयी। जांच कमेटी सदस्यों ने 4 ग्राम पंचायतो (9 एलएम-बी, 7 एमएलडी, 2 केएम, 10 केडी) के कार्यो के अनियमित भुगतान की जॉच की गई। चारों ग्राम पंचायतों में 88 कार्यो जो कि जांच कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन/जांच पड़ताल आदि की कार्यवाही की गयी। इन 88 कार्यो में 77 कार्य मनरेगा योजना के तहत एवं 11 कार्य सामान्य योजना के तहत शामिल किये गये। मनरेगा योजना में श्रम आधारित कार्यो का कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन नही किया गया। क्योंकि समय अधिक बीत जाने के कारण कच्चे कार्यो को माप/मुल्यांकन संभव नही था। जांच कमेटी द्वारा पक्के निर्माण कार्यो (सामग्री आधारित) का मौका पर भौतिक सत्यापन किया गया और भौतिक सत्यापन के दौरान माप आदि के अनुसार गठित कमेटी द्वारा कार्य मुल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर कमेटी द्वारा अंतरिम जांच प्रतिवेदन कमांक 5561 दिनांक 09.02.2016 को तत्कालीन विकास अधिकारी को प्रस्तुत किया गया। कार्यालय जिला परिषद श्रीगंगानगर के पत्र कमांक 3226-31 दिनांक 07.02.2020 से तथ्यात्मक एवं संशोधित जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस प्रकरण से संबंधित चार ग्राम पंचायतों के 88 कार्यो की जांच में 63 कार्यों में अनियमित भुगतान राशि 4451977 रूपये पाई गई। तत्पश्चात संशोधित जांच रिपोर्टों के अनुसार ग्राम पंचायत 10 केडी के 49 निर्माण कार्यों पेटे 1391678 रूपये वसूली/अनियमित राशि पाई गई थी। इस वसूली राशि मे 44672 रूपये संबंधित व्यक्तियों द्वारा राजकोष में जमा करवा दिये गये। शेष वसूली राशि 1347006 रूपये है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत 9 एलएम-बी में जिन पक्के कार्यो पर ग्राम पंचायत द्वारा 7 निर्माण कार्यों पेटे 1517751 रूपये का अनियमित भुगतान किया जाना पाया गया। ग्राम पंचायत 7 एमएलडी के 6 निर्माण कार्यों में 1436248 रूपये का अनियमित भुगतान किया जाना पाया गया तथा ग्राम पंचायत 2 केएम के एक निर्माण कार्य में 271568 रूपये अनियमित भुगतान पाया गया है जिसमें 33691 रूपये श्री सोहनलाल ग्राम विकास अधिकारी द्वारा राजकोष मे जमा करवा दिये गये। इस प्रकार ग्राम पंचायत 2 केएम की शेष वसूली राशि 237877 रूपये है। पूर्व जांच रिपोर्ट व संशोधित जांच रिपोर्ट के अनुसार अनियमित राशि/वसूली राशि में बढ़ने का कारण कई कार्यों में व्यय राशि बढ़ना पाया गया। जांच रिपोर्ट के अनुसार **ग्राम पंचायत 9 एलएम-बी के 7 निर्माण कार्य** वर्ष 2013-14 में स्वीकृत होकर तत्कालीन सरपंच श्रीमति पदमादेवी तथा ग्राम विकास अधिकारी सुरेश सरगरा द्वारा करवाये गये है। अनियमित भुगतान राशि जांच प्रतिवेदन/संशोधित प्रतिवेदन में दर्शित की गयी है उनका कार्यवार विवरण निम्नानुसार है :-

1. ग्राम पंचायत 9 एलएमबी में ग्रेवल सड़क निमार्ण नाईयावाली से सज्जन सिंह/खजान के खेत की ओर पार्ट द्वितीय चक 10 एलएम हेतु 5 लाख रूपये स्वीकृत राशि में से 500152 रूपये कार्य पेटे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कर भुगतान उठाया गया है। कमेटी द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन पर इस कार्य के लिए अनुमत राशि 296115 रूपये पाई गई। स्वीकृत तकमीने की सामग्री का 55.33 प्रतिशत उपभोग कर शत प्रतिशत राशि का भुगतान उठाया गया। व्यय राशि एवं अनुमत राशि के अनुसार 204037 रूपये अधिक भुगतान उठाना पाया गया।
2. ग्राम पंचायत 9 एलएमबी में ग्रेवल सड़क निमार्ण नाईयावाली से सज्जन सिंह के खेत की ओर पार्ट प्रथम चक 10 एलएम हेतु 5 लाख रूपये स्वीकृत राशि में से 443210 रूपये कार्य पेटे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कर भुगतान उठाया गया है। कमेटी द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन पर इस कार्य के लिए अनुमत राशि 295072 रूपये पाई गई। स्वीकृत तकमीने की सामग्री का 61. 94 प्रतिशत उपभोग कर शत प्रतिशत राशि का भुगतान उठाया गया। व्यय राशि एवं अनुमत राशि के अनुसार 148139 रूपये अधिक भुगतान उठाना पाया गया।
3. ग्राम पंचायत 9 एलएमबी में ग्रेवल सड़क निमार्ण नाईयावाली से सोनाराम बावरी / रामप्रताप के खेत तक पार्ट तीन 10 एलएम हेतु 5 लाख रूपये स्वीकृत राशि में से 499954 रूपये कार्य पेटे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कर भुगतान उठाया गया है। कमेटी द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन पर इस कार्य के लिए अनुमत राशि 307388 रूपये पाई गई। स्वीकृत तकमीने की सामग्री का 57.97 प्रतिशत उपभोग कर शत प्रतिशत राशि का भुगतान उठाया गयाव्यय राशि एवं अनुमत राशि के अनुसार 192566 रूपये अधिक भुगतान उठाना पाया गया।

4. ग्राम पंचायत 9 एलएमबी में ग्रेवल सड़क निमार्ण 10 एलएम डामर रोड से नाईयावाली की और पार्ट चार चक 10 एलएम हेतु 5 लाख रूपये स्वीकृत राशि में से 500254 रूपये कार्य पेटे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कर भुगतान उठाया गया है। कमेटी द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन पर इस कार्य के लिए अनुमत राशि 281206 रूपये पाई गई। स्वीकृत तकमीने की सामग्री का 53.34 प्रतिशत उपभोग कर शत प्रतिशत राशि का भुगतान उठाया गया। व्यय राशि एवं अनुमत राशि के अनुसार 219048 रूपये अधिक भुगतान उठाना पाया गया।

5. ग्राम पंचायत 9 एलएमबी में ग्रेवल सड़क निमार्ण 1 डीडी खण्वजां से ख्यालीराम की ढाणी की ओर चक 10 एलएम हेतु 5 लाख रूपये स्वीकृत राशि में से 500254 रूपये कार्य पेटे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कर भुगतान उठाया गया है। कमेटी द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन पर इस कार्य के लिए अनुमत राशि 296649 रूपये पाई गई। स्वीकृत तकमीने की सामग्री का 57.29 प्रतिशत उपभोग कर शत प्रतिशत राशि का भुगतान उठाया गया। व्यय राशि एवं अनुमत राशि के अनुसार 203605 रूपये अधिक भुगतान उठाना पाया गया।

6. ग्राम पंचायत 9 एलएमबी में ग्रेवल सड़क निमार्ण खडवजां सडक से खडवजां तक 12 एलएम आबादी की और चक 12 एलएम हेतु 380000 रूपये स्वीकृत राशि में से 379984 रूपये कार्य पेटे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कर भुगतान उठाया गया है। कमेटी द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन पर 1,95,364 रूपये व्यय होना पाया गया जिससे इस कार्य के लिए समस्त व्यय राशि वसूली योग्य पाई गई। **(जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्य के स्वीकृत तकमीने की सामग्री का 50 प्रतिशत से भी कम सामग्री का उपयोग कर शत प्रतिशत राशि का भुगतान उठाये जाने के कारण सम्पूर्ण व्यय राशि को निष्फल योग्य माना गया एवं इसी के अनुरूप समस्त व्यय राशि 379984 रूपयों की वसूली जारी की गई)**

7. ग्राम पंचायत 9 एलएमबी में ग्रेवल सड़क निमार्ण कृष्णलाल के खेत से 12 एलएम आबादी की और 2062 फिट चक 12 एलएम हेतु 380000 रूपये स्वीकृत राशि में से 380184 रूपये कार्य पेटे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कर भुगतान उठाया गया है। कमेटी द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन पर इस कार्य के लिए अनुमत राशि 209812 रूपये पाई गई। स्वीकृत तकमीने की सामग्री का 53.45 प्रतिशत उपभोग कर शत प्रतिशत राशि का भुगतान उठाया गया। व्यय राशि एवं अनुमत राशि के अनुसार 170372 रूपये अधिक भुगतान उठाना पाया गया।

इस प्रकार उक्त अवधि के दौरान ग्राम पंचायत 9 एलएम–बी में 7 ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य पेटे राशि 204037+148139+192566+219048+203605+379984+170372 कुल 1517751 रूपये अधिक राशि का भुगतान उठाकर तत्कालीन सरपंच श्रीमति पदमा देवी तथा सुरेश सरगरा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी द्वारा राजकोष को हानि पहुँचाना पाया गया।

इसी प्रकार से कमेटी द्वारा **ग्राम पंचायत 7 एलएमडी** में जिन पक्के कार्यो पर ग्राम पंचायत द्वारा व्यय किया गया एवं उसका मुल्यांकन व्यय राशि से कम आया है। यह निर्माण कार्य वर्ष 2011–12 व 2012–13 में स्वीकृत होकर तत्कालीन सरपंच दुल्लेखां तथा ग्राम विकास अधिकारी सुरेश सरगरा द्वारा करवाये गये है, का कार्यवार विवरण निम्नानुसार है :–

1. ग्राम पंचायत 7 एमएलडी में खडवंजा रिसोलिगं 8 एमएलडी से मुकन्दराम की ढाणी तक चक 8 एमएलडी हेतु 100000 रूपये स्वीकृत राशि में से 99897 रूपये कार्य पेटे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कर भुगतान उठाया गया है। कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन के दौरान कार्य होना नही पाया गया। कार्य का जांच से पूर्व में माप नही किया गया ना ही कार्य का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करवाया गया है। इस प्रकार 99897/–रूपये ग्राम पंचायत द्वारा बिना कार्य करवाये भुगतान उठाना पाया गया।

2. ग्राम पंचायत 7 एमएलडी–बी में खडवंजा रिसोलीगं जनतावाली से कृष्णलाल मेघवाल की ढाणी चक 8 एमएलडी हेतु 100000 रूपये स्वीकृत राशि में से 99897 रूपये कार्य पेटे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कर भुगतान उठाया गया है। कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन के दौरान कार्य होना नही पाया गया कार्य का जांच से पूर्व में माप नही किया गया ना ही कार्य का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करवाया गया है इस प्रकार 99897 रूपये ग्राम पंचायत द्वारा बिना कार्य करवाये भुगतान उठाना पाया गया।

3. ग्राम पंचायत 7 एमएलडी–बी में खडवंजा रिसोलीगं 8 एमएलडी से 6 एमएलडी की और चक 8 एमएलडी हेतु 100000 रूपये स्वीकृत राशि में से 99897 रूपये कार्य पेटे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कर भुगतान उठाया गया है। कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन के दौरान कार्य होना नही पाया गया कार्य का जांच से पूर्व में माप नही किया गया ना ही कार्य का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करवाया गया है इस प्रकार 99897 रूपये ग्राम पंचायत द्वारा बिना कार्य करवाये भुगतान उठाना पाया गया।
4. ग्राम पंचायत 7 एमएलडी–बी में ग्रेवल सडक निर्माण लिंक रोड से आबादी 6 एमएलडी की और 825 फिट चक 7 एमएलडी–बी हेतु 157000 रूपये स्वीकृत राशि में से 154146 रूपये कार्य पेटे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कर भुगतान उठाया गया है। कमेटी द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन पर इस कार्य के लिए अनुमत राशि 91412 रूपये पाई गई। स्वीकृत तकमीने की सामग्री का 61.67 प्रतिशत उपभोग कर शत प्रतिशत राशि का भुगतान उठाया गया व्यय राशि एवं अनुमत राशि के अनुसार 62734 रूपये अधिक भुगतान उठाना पाया गया।
5. ग्राम पंचायत 7 एमएलडी–बी में ग्रेवल सड़क निमार्ण 7 एमएलडी बी छप्पड से शमशान भूमि होते हुये 7 एमएलडी ए की और 7425 फिट चक 7 एलएमडी–बी हेतु 9,95,000 रूपये स्वीकृत राशि में से 9,34,241 रूपये कार्य पेटे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कर भुगतान उठाया गया है। कमेटी द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन पर इस कार्य के लिए अनुमत राशि 8,23,184 रूपये पाई गई। व्यय राशि एवं अनुमत राशि के अनुसार 1,11,057 रूपये अधिक भुगतान उठाना पाया गया।
6. ग्राम पंचायत 7 एमएलडी–बी में ग्रेवल सड़क निमार्ण 7 एमएलडी सी से 12 एमएलडी की और 7एलएलडी ग्राम की और 5000 फिट चक 7 एमएलडी बी हेतु 10,00,000 रूपये स्वीकृत राशि में से 9,62,766 रूपये कार्य पेटे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कर भुगतान उठाया गया है। कमेटी द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन पर इस कार्य के लिए समस्त व्यय राशि वसूली योग्य पाई गई। **(जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्य के स्वीकृत तकमीने की सामग्री का 50 प्रतिशत से भी कम सामग्री का उपयोग कर शत प्रतिशत राशि का भुगतान उठाये जाने के कारण सम्पूर्ण व्यय राशि को निष्फल योग्य माना गया एवं इसी के अनुरूप समस्त व्यय राशि 9,62,766 रूपयों की वसूली जारी की गई।**

इस प्रकार उक्त अवधि के दौरान ग्राम पंचायत 7 एमएलडी में 3 ग्रेवल सड़क एवं 3 खडवंजा रिसॉलिंग कार्य पेटे राशि 99897+99897+99897+62734+111057+962766 कुल 14,36,248 रूपये अधिक राशि का भुगतान उठाकर तत्कालीन सरपंच दुले खां तथा सुरेश सरगरा ग्राम विकास अधिकारी द्वारा राजकोष को हानि पहुँचाई जाना पाया गया।

इसी प्रकार कमेटी द्वारा **ग्राम पंचायत 2 केएम (डब्बर)** में जिन पक्के कार्यो पर ग्राम पंचायत द्वारा व्यय किया गया एवं उसका मुल्यांकन व्यय राशि से कम आया है। यह निर्माण कार्य वर्ष 2012–13 में स्वीकृत होकर तत्कालीन सरपंच श्रीमति मंजीत कौर भुल्लर तथा ग्राम विकास अधिकारी सुरेश सरगरा द्वारा करवाये गये हैं, का कार्यवार विवरण निम्नानुसार है :–

1. ग्राम पंचायत 2 केएम में ग्रेवल सड़क निमार्ण 1 पीएम से 10 डीडी रोड से केएनडी नहर तक 8,250 फिट चक 1 पीएम हेतु 13,61,000 रूपये स्वीकृत राशि में से 13,46,042 रूपये कार्य पेटे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कर भुगतान उठाया गया है। कमेटी द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन पर इस कार्य के लिए अनुमत राशि 10,74,474 रूपये पाई गई। व्यय राशि एवं अनुमत राशि के अनुसार 2,71,568 रूपये अधिक भुगतान उठाना पाया गया।

इसी प्रकार कमेटी द्वारा **ग्राम पंचायत 10 केडी** में जिन पक्के कार्यो पर ग्राम पंचायत द्वारा व्यय किया गया एवं उसका मुल्यांकन व्यय राशि से कम आया है। यह निर्माण कार्य वर्ष 2008–09 व 2009–10 में स्वीकृत (जांच में शामिल समस्त 74 कार्य मनरेगा योजना से सम्बंधित है।) होकर तत्कालीन सरपंच श्रीमति जसविन्द्र कौर तथा ग्राम विकास अधिकारी सुरेश सरगरा द्वारा करवाये गये है, का कार्यवार विवरण निम्नानुसार है :– नोटः– ग्राम पंचायत 10 केडी में 74 कार्यो में 50 कार्यो पेटे वसूली/गबन की राशि 13,91,678 रूपये जारी की गई। इन 50 कार्यों में वसूली से संबंधित 09 कार्यो का विवरण निम्नानुसार हैः–

1. ग्राम पंचायत 10 केडी में खडवंजा सडक निमार्ण 328 की पुली के पास पूर्व खडवंजा से रामगोपाल पुनियां की ढाणी की और चक 3 डीओएल हेतु 7,26,000 रूपये स्वीकृत राशि में से 6,36,283 रूपये कार्य पेटे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कर भुगतान उठाया गया है। कमेटी द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन पर इस कार्य के लिए अनुमत राशि 5,92,881 रूपये पाई गई। भौतिक सत्यापन पर ईंटों का उपभोग कम होना पाया गया। व्यय राशि एवं अनुमत राशि के अनुसार 43,402 रूपये अधिक भुगतान उठाना पाया गया।
2. ग्राम पंचायत 10 केडी में खडवंजा सडक निमार्ण 13 केडी से 14 केडी तक चक 13 केडी हेतु 2,86,000 रूपये स्वीकृत राशि में से 1,66,906 रूपये कार्य पेटे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कर भुगतान उठाया गया है। कमेटी द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन पर इस कार्य के लिए अनुमत राशि 1,58,989 रूपये पाई गई। भौतिक सत्यापन पर ईंटों का उपभोग कम होना पाया गया। व्यय राशि एवं अनुमत राशि के अनुसार 7,917 रूपये अधिक भुगतान उठाना पाया गया।
3. ग्राम पंचायत 10 केडी में खडवंजा सडक निमार्ण आबादी 2 केएनडी से 7 केएनडी पक्की सडक की और चक 2 केएनडी हेतु 3,45,000 रूपये स्वीकृत राशि में से 2,52,810 रूपये कार्य पेटे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कर भुगतान उठाया गया है। कमेटी द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन पर इस कार्य के लिए अनुमत राशि 237641 रूपये पाई गई। भौतिक सत्यापन पर ईंटों का उपभोग कम होना पाया गया। व्यय राशि एवं अनुमत राशि के अनुसार 15,169 रूपये अधिक भुगतान उठाना पाया गया।
4. ग्राम पंचायत 10 केडी में खडवंजा सडक निमार्ण खानुवाली रोड से 30 एएस रोड तक चक 30 एएस हेतु 2,76,000 रूपये स्वीकृत राशि में से 1,67,716 रूपये कार्य पेटे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कर भुगतान उठाया गया है। कमेटी द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन पर इस कार्य के लिए अनुमत राशि 162535 रूपये पाई गई। भौतिक सत्यापन पर ईंटों का उपभोग कम होना पाया गया। व्यय राशि एवं अनुमत राशि के अनुसार 5,181 रूपये अधिक भुगतान उठाना पाया गया।
5. ग्राम पंचायत 10 केडी में खडवंजा सडक निमार्ण 16 केडी आबादी से सुभाष नैण की ढाणी की और चक 16 केडी हेतु 8,86,000 रूपये स्वीकृत राशि में से 7,71,921 रूपये कार्य पेटे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कर भुगतान उठाया गया है। कमेटी द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन पर इस कार्य के लिए अनुमत राशि 618756 रूपये पाई गई। भौतिक सत्यापन पर स्वीकृत कार्य से कम लम्बाई में कार्य करवाया गया। व्यय राशि एवं अनुमत राशि के अनुसार 1,53,165 रूपये अधिक भुगतान उठाना पाया गया।
6. ग्राम पंचायत 10 केडी में खडवंजा सडक निमार्ण पूर्व निर्मित खडवंजा से 13 केडी आबादी की और चक 13 केडी हेतु 11,31,000 रूपये स्वीकृत राशि में से 8,85,972 रूपये कार्य पेटे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कर भुगतान उठाया गया है। कमेटी द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन पर इस कार्य के लिए अनुमत राशि 851732 रूपये पाई गई। इस कार्य मे स्वीकृत श्रम से अधिक राशि का भुगतान उठाया गया। व्यय राशि एवं अनुमत राशि के अनुसार 34,240 रूपये अधिक भुगतान उठाना पाया गया।
7. ग्राम पंचायत 10 केडी में खडवंजा सडक निमार्ण 16 केडी आबादी से 18 केडी तक चक 16 केडी हेतु 14,07,000 रूपये स्वीकृत राशि में से 10,84,357 रूपये कार्य पेटे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कर भुगतान उठाया गया है। कमेटी द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन पर इस कार्य के लिए अनुमत राशि 872332 रूपये पाई गई। भौतिक सत्यापन पर स्वीकृत कार्य से कम लम्बाई में कार्य करवाया गया। व्यय राशि एवं अनुमत राशि के अनुसार 2,12,025 रूपये अधिक भुगतान उठाना पाया गया।
8. ग्राम पंचायत 10 केडी में खडवंजा सडक निमार्ण वाटर वर्कस से रामस्वरूप के घर तक चक 12 केडी हेतु 8,42,000 रूपये स्वीकृत राशि में से 4,10,728 रूपये कार्य पेटे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कर भुगतान उठाया गया है। कमेटी द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन पर इस कार्य के लिए अनुमत राशि 158305 रूपये पाई गई। भौतिक सत्यापन पर स्वीकृत कार्य से कम लम्बाई में कार्य करवाया गया। व्यय राशि एवं अनुमत राशि के अनुसार 2,52,423 रूपये अधिक भुगतान उठाना पाया गया।

9. ग्राम पंचायत 10 केडी में कच्ची सडक निर्माण मय कम्पेक्शन रास्ते पर 16 केडी पक्की सडक से सुन्दर सिह की ढाणी की और चक 15 केडी हेतु 3,57,000 रूपये स्वीकृत राशि में से 3,80,184 रूपये कार्य पेटे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कर भुगतान उठाया गया है। कमेटी द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन पर इस कार्य के लिए अनुमत राशि 2,41,606 रूपये पाई गई। व्यय राशि एवं अनुमत राशि के अनुसार 1,38,578 रूपये अधिक भुगतान उठाना पाया गया।

इसके अतिरिक्त इसी ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना मे श्रम आधारित 40 निर्माण कार्यों (1.) कच्ची सड़क निर्माण चक 11 केडी–बी से 14 केडी तक (2.) कच्ची सड़क निर्माण 321 हैड से शंकरलाल मेघवाल के खेत तक चक 1 डीओएल (3.)पक्का खाला पटड़ा निर्माण चक 30एएस–बी (4.) रास्ता मिटटी भर्ती सखी रोड़ से सहीराम के खेत तक चक 9 केडी–बी (5.) पक्का खाला पटड़ा निर्माण चक 1 डीओएल (6.) पक्का खाला पटड़ा निर्माण चक 9 केडी–बी (7.) पक्का खाला पटड़ा निर्माण चक 30 एएस (8.) पक्का खाला पटड़ा निर्माण चक 13 केडी–ए (9.) रास्ता मिटटी भर्ती 2 केएनडी से सखी रोड़ चक 2 केएनडी–बी (10.) मिटटी भर्ती पुरानी डिग्गी चक 10 केडी (11.) कच्ची सड़क निर्माण सखी रोड़ से बन्ता सिंह के खेत की ओर चक 9 केडी–बी (12.) पक्का खाला पटड़ा निर्माण चक 14 केडी (13.) नहरी पटड़ा निर्माण केडी नहर 20 आरडी से 50आरडी तक चक10 केडी (14.) पक्का खाला पटड़ा निर्माण चक 12 केडी (15.) पक्का खाला पटड़ा निर्माण चक 11 केडी–ए (16.) पक्का खाला पटड़ा निर्माण चक 10 केडी (17.) पक्का खाला पटड़ा निर्माण चक 15 केडी–ए (18.) पक्का खाला पटड़ा निर्माण चक 01केएनडी–ए (19.) पक्का खाला पटड़ा निर्माण चक 13 केडी (20.) जोहड़ खुदाई चक 16 केडी (21.) कच्ची सड़क निर्माण शेरसिंह की ढाणी से 14 केडी नहर की पुली तक चक 14 केडी (22.) भूमि विकास रा.प्रा.वि. चक 12 केडी (23.) कच्ची सड़क निर्माण पूर्व खड़ंजा से लक्ष्मण कुम्हार की ढाणी तक चक 01 केएनडी (24.) ग्रेवल रोड़ लिंक रोड़ से 9 केडी–बी चक 9 केडी–बी (25.) ग्रेवल रोड़ लिंक रोड़ से 12 केडी चक 12 केडी(0–3किमी) (26.) ग्रेवल रोड़ लिंक रोड़ से 12 केडी चक 12 केडी (3–5 किमी) (27.) पक्की डिग्गी निर्माण श्रवणराम पुत्र रामुराम मेघवाल के खेत में चक 02 केएनडी (28.) पक्की डिग्गी निर्माण अर्जुनराम पुत्र नन्दराम मेघवाल की कृषि भूमि में चक 13 केडी–ए (29.) पक्की डिग्गी निर्माण मुंशीराम पुत्र कान्हाराम बावरी की कृषि भूमि में चक 10 केडी (30.) पक्की डिग्गी निर्माण विमला पत्नी घासीराम रेगर की कृषि भूमि में चक 30एएस (31.) नहरी पटड़ा निर्माण 30आरडी से 50 आरडी चक 10 केडी (32.) ईको रेस्टोरेशन चक 1 केएनडी (33.) खड़वंजा सड़क निर्माण 321 हैड से आरसीपी कॉलोनी से चक 30एएस (34.) भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र 10 केडी (35.) पक्का खाला पटड़ा निर्माण चक 18 केडी (36.) नहरी पटड़ा निर्माण 0 आरडी से 14 आरडी खानुवाली नहर (37.) पक्का खाला पटड़ा निर्माण चक 02 केएनडी (38.) नहरी पटड़ा निर्माण 0 आरडी से 14 आरडी खानुवाली नहर (39.) पक्का खाला पटड़ा निर्माण 16केडी–बी (40.) मिटटी भर्ती रा.प्रा.वि. चक 10 केडी के कार्यों पर अनियमित भुगतान राशि क्रमशः 16640+17780+8630 + 41768+5060+25890+8850+37900+27970+78960+4700+5250+27510+3300+ 3300+ 3300 +3300+5980+3300+2990+3300+2990+2115+400+6940+10140+28392+1826+ 3829+5394 +1078+20918+2490+341+4130+2770+26270+20220+15860+37797 इस प्रकार उक्त 40 निर्माण कार्यों की अनियमित/वसूली राशि 529578 रूपये तथा 09 निर्माण कार्यों के 862100, इस प्रकार ग्राम पंचायत 10 केडी के 49 निर्माण कार्यों के अनियमित/वसूली राशि कुल 862100 + 529578 =1391678 रूपये पाई गई इस राशि में से सामान्य वसूली के रूप में 44672 रूपये वसूली तत्कालीन सरपंच श्रीमति सोमती देवी (16280रूपये) एवं डिग्गी मालिक श्रवणराम पुत्र राउराम मेघवाल (28392रूपये) राजकोष में जमा करवा दी गई थी। शेष वसूली राशि 1391678–44672 =1347006 रूपये रही जिसके लिए तत्कालीन सरपंच श्रीमति जसविन्द्र कौर तथा सुरेश सरगरा ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी होना पाया गया।

2. ग्राम पंचायत 9 एमएल–बी में निर्माण कार्य पेटे राशि 15,17,751 रूपये के लिए तत्कालीन सरपंच श्रीमति पदमा देवी व श्री सुरेश सरगरा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत 9 एलएमबी व अन्य का उत्तरदायी होना पाया गया।

3. ग्राम पंचायत 7 एमएलडी में निर्माण कार्यों पेटे 14,36,248 रूपये के लिए तत्कालीन सरपंच दुले खां व श्री सुरेश सरगरा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत 7 एमएलडी व अन्य का उत्तरदायी होना पाया गया।

4. ग्राम पंचायत 2 केएम (डब्बर) के लिए राशि 237877 रूपये के लिए तत्कालीन सरपंच श्रीमति मनजीत कौर भुल्लर व सुरेश सरगरा ग्राम विकास अधिकारी का उत्तरदायी/दोषी होना पाया गया।

अतः सत्यापन के दौरान उपलब्ध हुऐ साक्ष्यों एवं उपरोक्त विषलेषण के आधार पर पंचायत समिति घड़साना अधीन विभिन्न ग्राम पंचायतों में घटना अवधि के दौरान निर्माण कार्यों की स्वीकृति के विपरीत अधिक राशि का भुगतान उठाकर आरोपीगण क्रमशः (1.) श्री सुरेश सरगरा तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव पंचायत समिति घड़साना (2.) श्रीमति पदमा देवी तत्कालीन संरपच ग्राम पंचायत 9 एलएम–बी (3.) श्री दुल्ले खां तत्कालीन संरपच 7 एमएलडी (4.) श्रीमति मंजीत कौर तत्कालीन संरपच ग्राम पंचायत 2 केएम (5.) श्रीमति जसविन्द्र कौर तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत 10 केडी पंचायत समिति घड़साना जिला श्रीगंगानगर एवं अन्य द्वारा राजकीय राशि का गबन किया जाना पाये जाने पर उनके खिलाफ अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(सी)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 एवं धारा 409, 420,193 एवं 120 बी भादंसं. घटित होना पाया गया है। अतः उपरोक्तानुसार आरोपीगण क्रम संख्या 01 से 05 तक एवं अन्य के विरूद्ध उपरोक्त अपराध में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा में प्रेषित है।

भवदीय,

(वेदप्रकाश लखोटिया)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
श्रीगंगानगर–द्वितीय

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री वेदप्रकाश लखोटिया, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-द्वितीय ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(सी)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 409, 420, 193, एवं 120बी भादंसं में अभियुक्तगण 1. श्री सुरेश कुमार पुत्र रूघाराम, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिति घड़साना, जिला श्रीगंगानगर हाल ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिति अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर, 2. श्री दुल्ले खां, तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत 7 एमएलडी, पचांयत समिति घड़साना, 3. श्रीमती पदमा देवी पत्नी श्री अमरचन्द, तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत 9एलएम-बी, पंचायत समिति घड़साना, जिला श्रीगंगानगर 4. श्रीमती मनजीत कौर पत्नी श्री बलविन्द्र सिंह, तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत 2 केएम, पंचायत समिति घड़साना, जिला श्रीगंगानगर, 5. श्रीमती जसविन्द्र कौर पत्नी श्री सुरजीत सिंह, तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत 10 केडी पंचायत समिति घड़साना जिला श्रीगंगानगर एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 386/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

27.9.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक:- 3361-67 दिनांक 27.9.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् श्रीगंगानगर।
5. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-द्वितीय।
7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(परि.), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (परि.142/19)

27.9.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।